कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय ,देवरिया ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश देवरिया के **आदेश दिनांक 24.08.2021** के अनुपालन मे दीवानी न्यायालय परिसर स्थित अधोलिखित दुकानों की नीलामी वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु दिनांक 01.09.2021 को सांय 4 बजे दस कक्षीय भवन स्थित सभागार कक्ष में नीलामी समिति की देखरेख मे सम्पन्न होगी। इच्छुक व्यक्ति शर्तों के अधीन बोली मे भाग ले सकते है । उक्त नीलामी माह **सितंबर 2021** से प्रभावी होगी तथा प्रत्येक ठेके हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा नियत धनराशि निम्नवत है:-

1-साईकिल/मोटर साईकिल/स्कूटर एवं समस्त दो पहिया वाहन स्टैण्ड -	रु०-1,42,335.00
2- भूजा एवं मूँगफली-	रु०-46,665.00
3-लस्सी शरबत-	रु०-40,110.00

नीलामी की शर्तें:-

1- प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने से पूर्व वाहन स्टैंड हेतु मु०-10000/-,लस्सी शरबत एवं भूजा ,मूँगफली हेतु मु०-5000/- नकद धनराशि प्रत्येक ठेके हेतु बतौर जमानत कार्यालय नजारत जजी देवरिया मे जमा करना होगा । बिना जमानत की धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति नीलामी मे भाग नही ले सकता है । जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा मे संबंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा ।

2- नीलामी मे कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तब तक बोली नही बोल सकता, जब तक की नीलामी से अनुपस्थित व्यक्ति का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो ।

3- उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की 10 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद **अर्नेस्ट मनी** के रुप मे तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा करना होगा । जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी ।

4- प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध मे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

5- जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी मे भाग लेने का हकदार नही होगा ।

6- नीलामी समिति जजी देवरिया के विचार मे यदि यह बात आती है कि उचित बोली नही बोली जा रही है तो ऐसी स्थिति मे नीलामी स्थगित की जा सकती है ।

7- नीलामी समिति जजी देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें। माननीय जनपद न्यायाधीस महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी ।

(लोकेश कुमार),	**(शाश्वत पाण्डेय),**	**(अजय कुमार),**
सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
नीलामी समिति,	नीलामी समिति	नीलामी समिति,
जजी, देवरिया ।	जजी ,देवरिया ।	जजी, देवरिया ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतुः-

1- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु

2- जनपद न्यायालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम ऑफिसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, देवरिया ।

3- माननीय जनपद न्यायाधीश,देवरिया

4- जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु ।

5- कलक्ट्रेट देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

6- -जिला परिषद देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु ।

7- दीवानी न्यायालय व कलेक्ट्रेट देवरिया स्थित विभिन्न दुकानो के दुकानदारों के मध्य परिचालन हेतु ।

8- केन्द्रीय नाजिर जजी देवरिया को अन्य सार्वजनिक स्थलो पर चस्पा हेतु ।

9- जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।

(लोकेश कुमार),	**(शाश्वत पाण्डेय),**	**(अजय कुमार),**
सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
नीलामी समिति,	नीलामी समिति	नीलामी समिति,
जजी देवरिया ।	जजी देवरिया ।	जजी, देवरिया ।